



# समाहरणालय, अररिया

## (जिला स्थापना प्रशाखा)

दूरभाष सं. : 06453-222001 (का०)  
: 06453-222102 (आ०)  
फैक्स सं. : 06453-222124  
email id : dm-araria.bih@nic.in

### आदेश

दिनांक 17.07.2017 को संपन्न जिला स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक में कमिटी द्वारा लिये गये निर्णय तथा वित्त विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 4685/वि० (2) दिनांक 25.06.2003 अधिसूचना संख्या 1802/वि० (2) दिनांक 23.03.2006, ज्ञापांक 10936/वि० दिनांक 27.11.2014 एवं कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक 2963/कृ० दिनांक 04.10.2010 में निहित निदेश के आलोक में 12/24 वर्षों तथा वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 7566/वि० दिनांक 14.07.2010 एवं संकल्प संख्या 504/वि० दिनांक 16.01.2014 एवं 9025/वि०, दिनांक 26.09.2014 में निहित निदेश के आलोक में 10,20,30 वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण करने वाले निम्नांकित लिपिक/जनसेवक एवं कार्यालय परिचारियों की सेवा सम्पुष्ट करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से प्रथम/द्वितीय एवं तृतीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना/रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजनान्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

### लिपिक संवर्ग :

क्र०	सरकारी सेवक का नाम/पदनाम	सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि	प्रथम ए०सी०पी० हेतु प्रभावी तिथि	वेतनामन/देय ग्रेड वेतन	द्वितीय ए०सी०पी० का प्रभावी तिथि	वेतनामन/देय ग्रेड वेतन	10 वर्ष सेवा पूर्ण होने की तिथि/प्रभावी तिथि	वेतनामन/देय ग्रेड वेतन	20 वर्ष सेवा पूर्ण होने की तिथि/प्रभावी तिथि	वेतनामन/देय ग्रेड वेतन	30 वर्ष सेवा पूर्ण होने की तिथि/प्रभावी तिथि	वेतनामन/देय ग्रेड वेतन	अभ्यु०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	श्री अनुज कुमार, लिपिक	07.02.04	-	-	-	-	07.02.2014	5200-20200/2800	-	-	-	-	-
2	श्री कमलेश्वर प्रसाद मंडल, लिपिक	29.12.95	-	-	-	-	29.12.2005 01.07.2013	5200-20200/2800	-	-	-	-	-
3	श्री नवीन कुमार मंडल, लिपिक	12.03.03	-	-	-	-	12.03.2013 01.07.2013	5200-20200/2800	-	-	-	-	-
4	श्री माधव कुमार झा, लिपिक	25.10.90	-	-	-	-	-	-	25.10.2010 01.07.2014	9300-34800/4600	-	-	-
5	श्री इब्राहीम अली हाशमी, लिपिक	30.08.88	-	-	-	-	30.08.2000 16.12.2015	5200-20200/2800	-	-	-	-	-
6	श्री राजीब हाशमी, लिपिक	29.01.04	-	-	-	-	29.01.2014	5200-20200/2800	-	-	-	-	-
7	श्री राजीव कुमार वर्मा, लिपिक	18.03.96	-	-	-	-	-	-	18.03.2016	9300-34800/4600	-	-	-

## जनसेवक संवर्ग :

क्र०	सरकारी सेवक का नाम/पदनाम	सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि	प्रथम ए०सी०पी० हेतु प्रभावी तिथि	वेतनमान/ देय ग्रेड वेतन	द्वितीय ए०सी०पी० का प्रभावी तिथि	वेतनमान/ देय ग्रेड वेतन	10 वर्ष सेवा पूर्ण होने की तिथि/प्रभावी तिथि	वेतनमान/ देय ग्रेड वेतन	20 वर्ष सेवा पूर्ण होने की तिथि/प्रभावी तिथि	वेतनमान/ देय ग्रेड वेतन	30 वर्ष सेवा पूर्ण होने की तिथि/प्रभावी तिथि	वेतनमान/देय ग्रेड वेतन	अभ्यु०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	श्री अरविंद कुमार, जनसेवक	15.10.85	-	-	-	-	-	-	-	-	15.10.2015	6500-10500/5400	-

## कार्यालय परिचारी संवर्ग :

क्र०	सरकारी सेवक का नाम/पदनाम	सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि	प्रथम ए०सी०पी० हेतु प्रभावी तिथि	वेतनमान/ देय ग्रेड वेतन	द्वितीय ए०सी०पी० का प्रभावी तिथि	वेतनमान/ देय ग्रेड वेतन	10 वर्ष सेवा पूर्ण होने की तिथि/प्रभावी तिथि	वेतनमान/ देय ग्रेड वेतन	20 वर्ष सेवा पूर्ण होने की तिथि/प्रभावी तिथि	वेतनमान/ देय ग्रेड वेतन	30 वर्ष सेवा पूर्ण होने की तिथि/प्रभावी तिथि	वेतनमान/देय ग्रेड वेतन	अभ्यु०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	श्री रामोतार पासवान, कार्यालय परिचारी	29.03.81	-	-	-	-	-	-	-	-	29.03.2011	5200-20200/2400	-
2	मसो० आशा देवी, कार्यालय परिचारी	06.01.05	-	-	-	-	06.01.2015	5200-20200/1900	-	-	-	-	-

जिला स्क्रीनिंग कमिटी द्वारा लिये गये निर्णय तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं० 3/आ० 1-46/2000-2492, दिनांक 30.11.2005 एवं सामान्य प्रशासन विभागीय संकल्प संख्या-280, दिनांक 05.07.2002 तथा 1800, दिनांक 09.06.2011 में निहित निदेश के आलोक में निम्नांकित चालकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से वेतनमान/ग्रेड पे में नियमित प्रोन्नति की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

## चालक संवर्ग :

क्र०	चालकों के नाम	सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि	सेवा संपुष्टि की तिथि	प्रथम नियमित प्रोन्नति हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक (कालावधि)	प्रथम प्रोन्नति का वेतनमान/ग्रेड पे	द्वितीय नियमित प्रोन्नति हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक (कालावधि)	द्वितीय प्रोन्नति का वेतनमान/ग्रेड पे	तृतीय नियमित प्रोन्नति हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक (कालावधि)	तृतीय प्रोन्नति का वेतनमान/ ग्रेड पे	अभ्यु०
1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1	श्री राजेन्द्र पासवान, चालक	06.01.82	06.01.85	8 वर्ष 06.01.90 01.01.96	4000-6000	05 वर्ष 01.01.2001	4500-7000	-	-	-
2	श्री जगदीश पासवान, चालक	18.04.83	18.04.86	8 वर्ष 18.04.93 01.01.96	4000-6000	05 वर्ष 01.01.2001	4500-7000	-	-	-
3	श्री बुद्धदेव मंडल, चालक	19.04.83	19.04.86	8 वर्ष 18.04.93 01.01.96	4000-6000	05 वर्ष 01.01.2001	4500-7000	-	-	-
4	श्री आरती प्रसाद शर्मा, चालक	20.04.83	20.04.86	8 वर्ष 20.04.91 01.01.96	4000-6000	-	-	-	-	-
5	श्री मुजाहिद खान	30.03.07	30.03.10	8 वर्ष 30.03.15	5200-20200/2400	-	-	-	-	-



जिला स्क्रीनिंग कमिटी द्वारा लिये गये निर्णय तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं० 1008, दिनांक 08.10.2004 में निहित निदेश एवं वित्त विभाग के अधिसूचना सं० 660 वि (2) दिनांक 08.02.1999 के आलोक में दिनांक 01.01.1996 के पूर्व निम्नांकित सेवानिवृत्त लिपिक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से वेतनमान में प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

### सेवानिवृत्त लिपिक संवर्ग :

क्र०	सरकारी सेवक का नाम/पदनाम	सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि	सेवा संपुष्टि की तिथि	10 वर्ष सेवा पूर्व होने की तिथि	कनीय प्रवर कोटि में प्रोन्नति तिथि	कनीय प्रवर कोटि में प्रोन्नति तिथि का वेतनमान	प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति हेतु निर्धारित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	मो० वाहिदुर्रहमान, सेवानिवृत्त लिपिक	01.11.1958	30.03.1988	01.11.1968	01.04.1981	680-965	01.04.1981	-

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 1802/वि० (2) दिनांक 23.03.2006 द्वारा किये गये संशोधन के आलोक में दिनांक 01.01.1996 से पूर्व लागू प्रवर कोटि/कालबद्ध प्रोन्नति योजना के अधीन प्राप्त वित्तीय उन्नयन को ए०सी०पी० योजना के निमित्त वित्तीय उन्नयन नहीं माना जायेगा। स्क्रीम के अधीन वित्तीय उन्नयन होने पर कर्मचारी का वेतन मौलिक नियमावली के नियम 22(1) ए(1) के प्रावधानों के अनुसार नियमित प्रोन्नति की तरह न्यूनतम 100 रुपया का वित्तीय लाभ के अधीन रहते हुए, नियत किया जायेगा।

कमिटी द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में ऊपर वर्णित कर्मियों को ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी०/नियमित प्रोन्नति योजनान्तर्गत दिये गये वित्तीय उन्नयन में भविष्य में अगर यह पाया जायेगा कि संबंधित कर्मियों द्वारा गलत कागजातों के आधार पर वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त किया गया है, तो उसे रद्द कर दी जायेगी तथा वित्तीय उन्नयन के रूप में प्राप्त राशि की वसूली कर ली जायेगी।

ह०/—  
जिला पदाधिकारी,  
अररिया

ज्ञापांक 575/स्था०, अररिया, दिनांक 08/08/2017

- प्रतिलिपि : आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ/उप सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।  
 प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, अररिया/अपर समाहर्ता, अररिया/जिला लेखा पदाधिकारी, पूर्णियाँ/अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया/फारबिसगंज/ वरीय कोषागार पदाधिकारी, अररिया/फारबिसगंज/ भूमि सुधार उप समाहर्ता, अररिया/फारबिसगंज/उप निदेशक, (शष्य), पूर्णियाँ प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ/ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अररिया जिला/सभी अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।  
 प्रतिलिपि : सभी संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह०/—  
जिला पदाधिकारी,  
अररिया